भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3861
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय परिसर से चित्रों और प्रतिमाओं का हटाया जाना

3861. डॉ. के. जयकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालय परिसर से महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर को छोड़कर सभी नेताओं के चित्र और प्रतिमाएं हटाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के आदेश की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) : जी नहीं । मद्रास उच्च न्यायालय ने तारीख 08.08.2023 के अपने पत्र संख्या 1087/2023/डी4 द्वारा यह सुनिश्चित किया है कि न्यायालय परिसरों से महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर को छोड़कर सभी नेताओं के चित्र और प्रतिमाओं को हटाने का ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया है ।

(ख) : उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****